Discipline for office 1213063/02/11/12
3007

परिपत्र संख्या-स्था-1-स्वच्छता एवं शिष्टाचार / 2012-13 / / वाणिज्य कर,

कार्यालय कमिश्नर, वाणिज्य कर, उ0प्र0
(स्थापना-राजपत्रित अनुभाग)
लखनऊ:: दिनाँक:: 22 अक्टूबर, 2012

1- समस्त एडीशनल कमिश्नर, वाणिज्य कर,
मुख्यालय, लखनऊ।

2- समस्त जोनल एडीशनल कमिश्नर, वाणिज्य कर,
उत्तर प्रदेश।

कोई भी अधिकारी अपने विभाग / कार्यालय में पहचान का प्रतिनिधित्व करता है। अधिकारी के व्यक्तित्व के विकास में उसके पहनावे एवं उनके व्यवहार का अपना विशिष्ट योगदान होता है। अपने विभाग की अलग पहचान बनाने के लिए अधिकारी को मर्यादित आचरण एवं व्यवहार तथा शालीन पहनावा पर विशेष ध्यान देना आवश्यक है। कार्यालय में अस्त-व्यस्त दिखना तथा अपने पहनावे एवं केश विन्यास को सामान्य ढंग से न रखना आमजन के मन पर विभाग के प्रति प्रतिकूल प्रभाव छोड़ता है। अधिकारी के पहनावे व आचार-विचार से उसके विभाग / कार्यालय की सभ्यता प्रतिबिम्बित होती है। ऐसा पहनावा जो कार्य से ध्यान भंग करें, अनुपयुक्त होता है। औपचारिक वेशभूषा कार्य के प्रति न केवल सजगता का द्योतक है बल्कि विभाग में अनुशासन का भी परिचायक है।

2- अत: इस क्रम में समस्त अधिकारियों से अपेक्षा है कि वे भड़कीले एवं चटख रंग के पहनावे से दूर रहते हुए शालीन पहनावा एवं सामान्य केस विन्यास शैली को वरीयता दें। खेल के जूते **(Sports Shoes)** एवं चप्पलों को पहन कर कार्यालय आने की प्रवृत्ति का परित्याग करें।

3- स्वच्छता एक ईश्वरीय गुण है साथ ही स्वस्थ वातावरण मन एवं मस्तिष्क को भी स्वस्थ रखता है। कार्यालय से अस्वास्थ्यकर प्रवृत्तियां जैसे सिगरेट पीना, पान या पान मसाला खाकर इधर-उधर थूकना न केवल अस्वच्छता पैदा करती है बल्कि कार्मिकों की कार्यक्षमता पर दुष्प्रभाव डालती है। अत: उक्त प्रवृत्तियों का स्वयं परित्याग करते हुए अपने अधीनस्थों को भी इसका अनुपालन करने हेतु प्रेरित करें। कार्यालय एक सार्वजनिक स्थल होता है जहाँ पर धूम्रपान एक दण्डनीय अपराध है। सिगरेट एवं अन्य तम्बाकू उत्पादों (विज्ञापन पर प्रतिबन्ध एवं व्यापार, वाणिज्य उत्पादन आपूर्ति एवं वितरण का विनियमन) अधिनियम 2003 की धारा-3(एल) में वर्णित सार्वजनिक स्थल (आस्थान) की परिधि में कार्यालय परिसर आता है। इस अधिनियम की धारा-4 के उपबन्धों के अधीन धूम्रपान एवं तम्बाकू उत्पादों का सेवन वर्जित है और इन प्राविधानों का उल्लंघन करने पर उक्त अधिनियम की धारा-21 के अन्तर्गत रु0 200/-की सीमा तक अर्थदण्ड आरोपणीय है जो धारा-28 के अन्तर्गत आरोपित अर्थदण्ड की धनराशि जमा करने पर उपशमन योग्य है। सभी कार्यालयाध्यक्षों से अपेक्षा की जाती है कि अपने कार्यालय भवन को धूम्रपान व तम्बाकू मिश्रित पदार्थों के सेवन से मुक्त कार्यालय बनाने हेतु सार्वजनिक स्थलों में धूम्रपान निषेध नियमावली-2008 के नियम-5 सपठित अनुलग्नक -III के क्रमांक-3 के उपबन्धों के अधीन अर्थदण्ड आरोपित व उपशमन करने हेतु प्राधिकारी नामित करें, तथा नियम-3-ख में वर्णित आकार डिजाइन के बोर्ड पर चेतावनी अंकित कराकर मुख्य प्रवेश स्थल पर लगवाना सुनिश्चित करें। अत: धूम्रपान निषेध कानून का कडाई से अनुपालन सुनिश्चित करें तथा अपने अधीनस्थों से भी सुनिश्चित करायें।

4- किसी भी प्रकार की बैठक में कोई व्यवधान एकाग्रता एवं परिचर्चा के विषय से ध्यान विकर्षित करता है। इस स्थिति से बचने हेतु समस्त अधिकारियों से अपेक्षा है कि मीटिंग के दौरान अपने मोबाइल फोन को यदि स्विच आफ रखना सम्भव न हो तो उसे बाइब्रेटिंग या साइलेन्ट मोड में रखे। ऐसी कॉल जिस पर बात करना अति आवश्यक हो तो अलग हटकर एकान्त में ही बात करें। साथ ही मोबाइल फोन के रिंगटोन को सामान्य एवं मन्द स्वर में रखे ताकि उसका स्वर दूसरों को अकर्णप्रिय न लगे। बैठक के दौरान यदि किसी बिन्दु पर आपसी विचार-विमर्श बहुत आवश्यक हो तो उसे भी मध्यम स्वर में एवं संक्षिप्त में करने का प्रयास किया जाना अपेक्षित है।

5- अत: सभी अधिकारियों से अपेक्षा की जाती है कि वे न सिर्फ बैठको के दौरान बल्कि नित्य रूप से सामान्य पहनावे का ध्यान रखते हुये अन्य शिष्टाचार का भी पालन करेंगे। कृपया अपने अधीनस्थ अधिकारियों को भी उक्त का कड़ाई से अनुपालन करने हेतु निर्देशित करने का कष्ट करें।

ह0/-
(हिमांशु कुमार)
कमिश्नर, वाणिज्य कर,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

पृष्ठाँकन पत्र संख्या व दिनाँक-उक्त।

प्रतिलिपि:-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1- अपर निदेशक (प्रशिक्षण) वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश, लखनऊ को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उक्त का अनुपालन करते हुये अपने अधीनस्थ अधिकारियों को भी अनुपालन करने हेतु निर्देशित करने के साथ ही आधारभूत/व्यवसायिक/ व्यवहारिक प्रशिक्षण में प्रोटोकाल, पोशाक एवं अन्य शिष्टाचार के सम्बन्ध में वार्ता को शामिल करना सुनिश्चित करें।

2- समस्त एडीशनल कमिश्नर ग्रेड-2 (वि0अनु0शा0/अपील), वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश।

3- समस्त ज्वाइन्ट कमिश्नर (का0पा0 /वि0अनु0शा0/ टैक्स आडिट/ कारपोरेट सर्किल / उ0न्या0का0 / सर्वो0न्या0का0),वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश।

4- समस्त अनुभाग अधिकारी, वाणिज्य कर, मुख्यालय, लखनऊ।

(विनोद कुमार सिंह)
ज्वाइन्ट कमिश्नर, (स्थापना)वाणिज्य कर,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

2/11/2012

श्री रामदेव कृपया website पर update करें
AC(IT)